रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1469] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2007/अग्रहायण 7, 1929
No. 1469] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2007/AGRAHAYANA 7, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2007

(आयकर)

का.आ. 2001(अ).—जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार को संशोधित करने वाला अनुबद्ध प्रोतोकॉल जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 710(अ) दिनांक 18 नवम्बर, 1993 के तहत प्रकाशित किया गया, 3 अक्तूबर, 2007 से प्रभावी होगा जो उक्त प्रोतोकॉल के अनुच्छेद 8 के अनुसरण में इस प्रोतोकॉल को प्रवृत्त करने के लिए सबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद परवर्ती अधिसूचना के प्राप्त होने की तिथि है ।

इसलिए, अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार को संशोधित करने वाले अनुबद्ध प्रोतोकॉल को 1अप्रैल, 2008 से भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 282/2007/वि.क.प्र./फा.सं. 503/5/2004-वि.क.प्र.]

पूनम दत्त, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच 29 अप्रैल, 1992 को भारत में हस्ताक्षरित करार को संशोधित करने वाला प्रोतोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच 29 अप्रैल, 1992 को भारत में हस्ताक्षरित करार (आगे ' करार' के रूप में उल्लिखित किया गया है) को संशोधित करने के लिए प्रोतोकॉल तय करने की इच्छुक भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच निम्नलिखित उपबंधों पर सहमति हुई है जो करार के अभिन्न अंग होंगे:

अनुच्छेद-1

अनुच्छेद-4 (निवासी) के पैराग्राफ 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

1. इस करार के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्य का निवासी' शब्द का आशय है :

(क) भारत के मामले में : कोई भी व्यक्ति जो भारत के कानूनों के अंतर्गत भारत में अपने मूल निवास, अधिवास, प्रबंधन स्थान अथवा इसी तरह की किसी अन्य कसौटी के कारण कर देने का पात्र हो । तथापि, इस शब्द के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जो भारत में स्रोतों से ही आय के संबंध में भारत में कराधान के पात्र हैं ; और

(ख) संयुक्त अरब अमीरात के मामले में : ऐसा व्यक्ति जो संयुक्त अरब अमीरात में संबंधित कैलेण्डर वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 183 दिन की अवधि या अवधियों के लिए मौजूद हो, तथा ऐसी कम्पनी जो संयुक्त अरब अमीरात में निगमित हो और जो संयुक्त अरब अमीरात में पूर्णतः प्रबंधित एवं नियंत्रित हो ।

2. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ :

(क) भारत गणराज्य, इसके राजनैतिक उप प्रभाग अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण भारत् गणराज्य के निवासी समझे जाएंगे ;

(ख) संयुक्त अरब अमीरात और इसके राजनैतिक उप प्रभागों अथवा स्थानीय सरकारों को संयुक्त अरब अमीरात का निवासी समझा जाएगा;

(ग) संबद्धन के अनुसार सरकारी संस्थाओं को भारत गणराज्य अथवा संयुक्त अरब अमीरात के निवासी के रूप में लिया जाएगा । ऐसी संस्था को सरकारी संस्था समझा जाएगा जिसका सृजन किसी एक संविदाकारी राज्य की सरकार या उसके राजनैतिक उप प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरण/ सरकारों द्वारा किया गया हो, जिसका पूर्ण स्वामित्व तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा राजनैतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्रधिकरण/ सरकारों के पास हो जिन्हें इस रूप में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के पारस्परिक करार द्वारा मान्यता प्राप्त हो ।

(घ) इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, आबू धाबी निवेश प्राधिकरण संयुक्त अरब अमीरात के निवासी के रूप में में मान्यता प्राप्त है ।

पैरा 2 और 3 की संख्या बदलकर क्रमशः 3 और 4 की जाएगी ।

अनुच्छेद-2

अनुच्छेद-7 का पैराग्राफ 3 (कारोबार लाभ) के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने के लिए ऐसे खर्च जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए किए जाते हैं, कटौतियों के रूप में अनुमत होंगे जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, यदि उस राज्य जिसमें स्थायी संस्थापन उस राज्य के कर कानूनों के उपबंधों तथा सीमाओं के अनुसार स्थित हो अथवा अन्यत्र स्थित हो ।

अनुच्छेद-3

अनुच्छेद 10 का पैराग्राफ 2 (लाभांश) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

2. तथापि, उस संविदाकारी राज्य में ऐसे लाभांशों पर भी कर लगाया जा सकता है जिसमें लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है तथा उस राज्य के कानूनों के अनुसार है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का लाभग्राही स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित किया गया कर 10% से अधिक नहीं होगा ।

अनुच्छेद-4

करार के अनुच्छेद 13 का पैराग्राफ 3 (पूंजीगत अभिलाभ) समाप्त कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफों को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

'3. किसी कम्पनी जिसकी सम्पत्ति में किसी संविदाकारी राज्य में स्थित मूलतः अचल सम्पत्ति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शामिल है, के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभ पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

4. कोई कम्पनी जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, में पैराग्राफ 3 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभ पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

5. उपर्युक्त पैराग्राफ 1,2,3, तथा 4 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभ केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होगा जिसमें अन्तरणकर्ता एक निवासी है । '

अनुच्छेद-5

अनुच्छेद 24 का पैराग्राफ 1 (सरकार तथा संस्थाओं की आय) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

'1. अनुच्छेद 13 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य की सरकार को अन्य संविदाकारी राज्य में ऐसी सरकार द्वारा उस अन्य संविदाकारी राज्य से उद्भूत किसी आय के संबंध में कर से छूट प्राप्त होगी जिसमें पूंजीगत अभिलाभ कर शामिल है ।'

अनुच्छेद-6

अनुच्छेद 26 का पैराग्राफ 2 (सम व्यवहार) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

'2. किसी संविदाकारी राज्य का कोई ऐसा स्थायी संस्थापन जो कि अन्य संविदाकारी राज्य में एक उद्यम है, पर कराधान उस संविदाकारी राज्य में एक उद्यम जो समान परिस्थितियों तथा समान दशाओं में समान कार्यकलाप करते हैं, पर लगाए गए कराधान की तुलना में उस अन्य संविदाकारी राज्य में उचित रूप से कम नहीं होगा । इस उपबंध को कोई स्थायी संस्थापन जो कि प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे कर की दर से अन्य संविदाकारी राज्य की एक कम्पनी है, के लाभों को प्रभारित करने से किसी संविदाकारी राज्य को निवारक के रूप में नहीं माना जाएगा जो कि प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की किसी समान कम्पनी के लाभों पर लगाए गए उस कर से अधिक नहीं है और न ही इसे अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के विरोध में माना जाएगा । '

अनुच्छेद-7

करार में 'लाभों के परिसीमन' का एक अनुच्छेद (अनुच्छेद 29) निम्नानुसार शामिल किया जाएगा :

' कोई कम्पनी जो संविदाकारी राज्य की निवासी है, करार के लाभों के लिए पात्र नहीं होगी यदि, इस तरह की किसी कम्पनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अथवा इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य इस करार के लाभों का फायदा उठाना था, जो कि अन्यथा उपलब्ध नहीं होगें । कानूनी कम्पनियों के मामले जिनकी प्रामाणिक कारोबारी गतिविधियां नहीं हैं, वे इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आएंगी ।'

अनुच्छेद 29, 30 तथा 31 को क्रमशः अनुच्छेद 30, 31 और 32 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

अनुच्छेद-8

यह करार प्रोतोकॉल का एक अभिन्न अंग होगा । प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस प्रोतोकॉल को प्रवृत्त करने के लिए इसके कानून के द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के सम्पन्न होने के बारे में अन्य राज्य को अधिसूचित करेगा । यह प्रोतोकॉल परवर्ती अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगा और इसका प्रभाव निम्नवत होगा

(क) संयुक्त अरब अमीरात में :

उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें प्रोतोकॉल प्रवृत्त किया जाता है, के पश्चात आने वाली 1 जनवरी को अथवा इसके पश्चात प्राप्त आय के संबंध में ;

(ख) भारत में :

उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें प्रोतोकॉल प्रवृत्त किया जाता है, के पश्चात आने वाले 1 अप्रैल को अथवा इसके पश्चात आरंभ होने वाले किसी ' पूर्ववर्ती वर्ष' में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने, जो कि अपनी संबंधित सरकारों की ओर से इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत हैं, इस प्रोतोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार सात के मार्च माह के छब्बीसवें दिन को हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया है, इसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । तीनों पाठों के अर्थ निरूपण की भिन्नता के मामले में अंग्रेज़ी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

ह./-

एस. एस. पलानीमाणिक्कम
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (राजस्व)

संयुक्त अरब अमीरात की सरकार की ओर से

ह./-

मोहम्मद के. खलफान बिन खिरबाश
वित्त एवं उद्योग राज्य मंत्री